

[2023] 3 एस. सी. आर 508

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

जिला बार एसोसिएशन देहरादून बनाम.

ईश्वर शांडिल्य और ओआरएस। (2020 का एम. ए. सं. 859)

/

(2020 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 5440) अप्रैल 20, 2023

[एम. आर. शाह और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.]

/

अधिवक्ता/अधिवक्ता संघ-शिकायत निवारण समितियाँ (जी. आर. सी.)-का गठन-आयोजित:बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता है और/या अदालत में काम करने से खुद को दूर नहीं रख सकता है-यदि बार के सदस्य को मामलों को दाखिल करने/सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों और/या निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी वास्तविक शिकायत के कारण कोई वास्तविक शिकायत या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वे बहुत अच्छी तरह से एक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यह उचित है कि उनकी वास्तविक शिकायतों पर किसी मंच द्वारा विचार किया जाए ताकि इस तरह की हड़तालों से बचा जा सके और बार के सदस्य जिन्हें उपरोक्त जैसी वास्तविक शिकायतें हो सकती हैं, वे अपनी शिकायतों को व्यक्त कर सकें-इसलिए, सभी उच्च न्यायालय अपने संबंधित उच्च न्यायालय ों में शिकायत निवारण समिति का गठन कर सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं और ऐसी शिकायत निवारण समिति में दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हों।

/

/

/

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 5440 में 2020 की एम. ए. संख्या 859।

/

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2020 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 5440 में दिनांकित 28.02.2020 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता के वकील अजय कुमार भाटिया।

/

508

509

जिला बार एसोसिएशन देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य और ओआरएस।

/

मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री राधिका गौतम, सुश्री अंजुल द्विवेदी, बैरपानेनी सुयोधन, सुश्री तातिनी बसु, कुमार शशांक, संजय रस्तोगी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विभिन्न स्तरों पर अधिवक्ताओं/अधिवक्ता संघों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण समितियों (जी. आर. सी.) के गठन के लिए उचित निर्देश के लिए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी गई है, जैसा कि दिनांक 1 के शपथपत्र में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों को राज्यों के साथ-साथ जिलों और तालुका न्यायालयों के लिए उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सुझाए गए "शिकायत निवारण समितियों" का गठन करने के निर्देश भी शामिल हैं।

/

2. श्री मनन कुमार मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया कि लगातार हड़तालों, बहिष्कारों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही एसएलपी (सी) संख्या 5440/2020 से उत्पन्न एम. ए. संख्या 859/2020 में 15.09.2021 पर शपथपत्र दायर कर दिया है।परिषद ने हड़ताल/बहिष्कार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है और सभी स्तरों पर अधिवक्ताओं/बार संघों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र का सुझाव दिया है।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि बार काउंसिल का दृढ़ विचार और राय है कि अवैध और अनुचित हड़ताल और बहिष्कार हमेशा खराब होते हैं और बार काउंसिल कभी भी ऐसी प्रथाओं को मंजूरी या प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी राज्य बार काउंसिलों के अध्यक्षों/पदाधिकारियों की एक बैठक में, भारतीय बार काउंसिल और वकीलों के सभी प्रतिनिधियों की सर्वसम्मत राय थी कि तालुका/मफसिल/जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों से

सभी स्तरों पर अधिवक्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए जहां बार के सदस्य अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई बार, बार के सदस्यों को बहुत वास्तविक शिकायतें हो सकती हैं और इस तरह की वास्तविक शिकायत का समाधान नहीं होने के कारण, बार के सदस्य हड़ताल पर चले जाते हैं। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि संबंधित राज्यों में उच्च न्यायालयों या जिला न्यायालयों में मामलों को दाखिल करने या सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के कारण बार के सदस्यों की वास्तविक शिकायत या निचली न्यायपालिका के किसी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित कोई शिकायत या न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कोई अन्य गंभीर शिकायत शिकायत निवारण समितियों के समक्ष व्यक्त की जा सकती है ताकि बार के सदस्य जो संबंधित राज्यों में उच्च न्यायालयों या जिला न्यायालयों में मामलों को दाखिल करने या सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के कारण कोई असंतोष महसूस करते हैं।

/

/

/

/

/

510

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

न्याय वितरण प्रणाली का एक हिस्सा महसूस कर सकता है कि उनकी वास्तविक शिकायतों को किसी मंच द्वारा सुना और प्रसारित किया जाता है।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा को सुनने के बाद, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता है और/या न्यायालय के काम से दूर नहीं रह सकता है। बार-बार, इस न्यायालय ने हड़ताल पर जा रहे अधिवक्ताओं और उन्हें काम से दूर रखने पर जोर दिया है और उनकी आलोचना की है। यदि बार के सदस्य को कोई वास्तविक शिकायत है या मामलों को दर्ज करने/सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों और/या निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी वास्तविक शिकायत के कारण होने वाली कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वे बहुत अच्छी तरह से एक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यह उचित है कि उनकी वास्तविक शिकायतों पर किसी मंच द्वारा विचार किया जाए ताकि इस तरह

के हमलों से बचा जा सके और बार के सदस्य जिन्हें उपरोक्त जैसी वास्तविक शिकायतें हो सकती हैं, वे अपनी शिकायतों को व्यक्त कर सकें। इसलिए, हम सभी उच्च न्यायालय ों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने-अपने उच्च न्यायालय ों में शिकायत निवारण समिति का गठन करें जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं और ऐसी शिकायत निवारण समिति में दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हों, जिनमें से एक सेवा से और एक बार से हो जिसे मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ महाधिवक्ता, राज्य की बार काउंसिल के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय स्तर पर इसी तरह की शिकायत निवारण समिति के गठन पर भी विचार कर सकता है। यह देखा गया है कि शिकायत निवारण समिति संबंधित उच्च न्यायालयों या अपने-अपने राज्यों में किसी भी जिला न्यायालय के मामलों को दाखिल करने/सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों और निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी वास्तविक शिकायत के कारण मतभेद या असंतोष से संबंधित वास्तविक शिकायत पर विचार कर सकती है, बशर्ते कि ऐसी शिकायत वास्तविक होनी चाहिए और किसी भी न्यायिक अधिकारी पर दबाव नहीं डालनी चाहिए। वर्तमान आवेदन का उपरोक्त संदर्भ में निपटारा कर दिया गया है। आई. ए. सं.

51257/2023 का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

/

/

/

/

/

4. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रतियों को वर्तमान आदेश के संदर्भ में आगे के कदमों के लिए सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को भेजे।

/

अंकित ज्ञान

आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

/